

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

त उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

काना

बनाम

कल्याण

दमा

212 Rf

नं.

841/18

सन्

2018

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थ पत्र अन्तर्गत धारा 212 Rf

विरुद्ध विपरीत पेश किया गया। प्रार्थ पत्र बाद जाँच

दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपरीत की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक

18-9-18 को पेश हो।

11/8 पत्रावली पेश हुई। उपर्युक्त उपरिधित प्रार्थ पत्र

के साथ दिनांक 16/10/18 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई समय पक्ष उपस्थित पिठासीन
अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अत्रकार में पधारें
हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश
पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 20/11/18 को पेश हो।आज्ञा
रीडर18 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थ पत्र के साथ दिनांक 27-12-18
को पेश हो।

फर्द अहकाम
(नियम 26)

मुकाम

बनाम

नं. 841 सन् 18

नम्बर
अहकाम
हुकम व
में ज

नम्बर व ता
अहकाम जो
हुकम की ता
में जारी ह

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थ अधिवक्ता व विपक्षीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अध्ययन / अवलोकन किया गया जिसमें जमाबन्दी अध्ययन पर पाया गया कि प्रार्थ काना पि. मांगीलाल व विपक्षी सं. 1 लगायत 3- कल्याण पिता मांगीलाल, नारायण पिता मांगीलाल व मांगीलाल पिता चंपालाल सभी रेकार्ड्स खोतेदार हैं। 212 खा में रेकार्ड्स खोतेदार के विरुद्ध निषेधाज्ञा दि नहीं दी जा सकती। प्रार्थ सं. 1 व विपक्षी 1 लगायत 3 रेकार्ड्स खोतेदार होने से अपने-अपने एक दिहास तक की खोतेदारी भूमि लेचान, हस्तान्तरण, इत्यादि करने हेतु स्वतंत्र हैं किन्तु उभय पक्षकारान रजिस्ट्री/कॉर्ट रजिस्टर्ड Sale deed, Transfer, Gift deed आदि में Pin pointed land Sale या नक्शे बना सेले, Transfer आदि नहीं करेंगे। पत्रावली फौजदारी नंबर होकर नंबर के निस्तारण

दिवालय
शिकायत
नं. 841
दिवालय

दिवालय
शिकायत
नं. 841
दिवालय